नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए / तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-4-26	उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली पेश हुई प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A पर अन्तिम बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। बहस समाप्त पत्रावली की गई वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 16-4-2026 को पेश हो।	
16-4-26	**निर्णय** राधाकिशन वगैरह बनाम रामविलास वगैरह पत्रावली पेश हुई संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत 212 R.T.A. मे प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी ख.स 1110/2 रकबा 0.55 हैक्टेयर ख.स 1111/3 रकबा 0.01 हैक्टेयर ख.स. 1155/2 रकबा 0.03 हैक्टेयर जो अप्रार्थी स. 1 लगायत 3 के नाम दर्ज है इसी प्रकार ख.स. 1111/2 रकबा 0.61 हैक्टेयर अप्रार्थी स. 4 के नाम दर्ज है तथा ख.स. 1110/1 रकबा 0.59 हैक्टेयर ख.स. 1111/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर ख.स. 1155/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर अप्रार्थी स. 6 लगायत 8 के नाम दर्ज है उपरोक्त विवादित आराजी बन्दोबस्त सम्वत 2022 से 2041 के पूर्व के पुराने ख.न 348 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा थे और सम्वत 2022 से 2041 बन्दोबस्त के दौरान ख.स. 570 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा बने है उक्त विवादित आराजी पूर्व के ख.स 348 रकबा 24 बीघा 1 बीघा प्रार्थीगण के पूर्वज भूरा आत्मज छोटू द्वारा क्रय की गई थी महकमा बन्दोबस्त राज्य बूंदी द्वारा सम्वत 1992 को भूरा आ. छोटू मीणा के नाम बतौर रिकमी काश्तकार के रूप में पानड़ी जारी की गई थी सम्वत 1997 में रजिस्टर तबदीलात करते समय राजस्व अधिकारियो। कर्मचारियो ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए अप्रार्थी सांख्य	उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	राधाकिशन बनाम राम विलास हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

। लगायत 8 के पूर्वज मान्या आत्मज गणेश से मिलीभगत कर वाद विवादित आराजी में से 1/2 हिस्से की ~~कृषि~~ भूमि मान्या आत्मज गणेश के नाम बतौर खातेदार कृषक के रूप में इन्द्राज कर दिया गया जबकि प्रतिवादीगण के पूर्वज अप्रार्थीगण के पूर्वजों के परिवार के सदस्य नहीं है इस प्रकार अप्रार्थीगण के पूर्वजों का गलत इन्द्राज किया गया है।

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि बन्दोबस्त से पूर्व के ख.स. 348 रकबा 24 बीघा एक बिस्वा बन्दोबस्त सम्वत 2022 से 2041 के पश्चात ख.स. 570 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा व ख.स. 571 रकबा 12 बीघा बने थे जो सेटलमेन्ट 1995 से 2015 के पश्चात उक्त विवादित के वर्तमान नये ख.स. 1110, 1111, 1153 बने है जिन अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 का पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है पूर्व ख.स. 348 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा के सम्वत 1997 में राजस्व रिकार्ड में विभाजन अंकित है तब से ही प्रतिवादीगण के पूर्वज मान्या आत्मज गणेश के खाते दर्ज है।

हमारे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के पूर्वज भूरा आ. छीतु मीणा द्वारा क्रय की गयी थी अप्रार्थीगण के पूर्वज मान्या आत्मज गणेश द्वारा मिलीभगत से हिस्सा 1/2 में अपना नाम रिकार्ड में दर्ज करा लिया गया। अप्रार्थीगण अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का फायदा उठाकर अवाप्त भूमि का मुआवजा प्राप्त कर लेंगे अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। साथ अपने तर्क के समर्थन में पूर्व न्यायिक दृष्टान्त DNJ. 2019 पेज नं. 131, RLW 2006 (2) RJ पेज 1127, RLW 2012 (2) R.J पेज नम्बर 1170, RRD 2016 पेज 113, RLW 2014 (1) पेज 76 पेश किये।

2

उपखण्ड अधिकारी
नारवेरी (बून्दी)

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राधाकिशन बनाम रामविलास

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए कथन किया विवादित आराजी अप्रार्थीगण के पूर्वजो के समय से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है तथा उक्त विवादित आराजी पर कब्जा काश्त चले आ रहे है, विवादित आराजी अवाप्त होने से प्रार्थीगण के बदयाने आ गई कि मुआवजा राशी को जानबूझकर अटकाना चाहते है, विवादित पर प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा कोई ऐतराज लगभग 75 वर्षो से नही किया गया मुआवजा राशी हड़पने हेतु झूठा वाद दायर किया गया है जो खारिज मय हरजा खर्चा किया जावे। तथा अपने तर्क मे पूर्व न्यायिक दृष्टान्त RRT 2022-2023 (SUPP) पेज न. 176, RRT, 2015(1) पेज न. 633, RRD 2014 पेज न. 463 पेश की है

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एव प्रस्तुत पूर्व न्यायिक दृष्टान्तो गहन अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी 2019-2022 सम्वत 2001 से 2003 तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 से 2019 तथा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजो से स्पष्ट है कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 के पूर्वजो के से से खातेदारी दर्ज रिकार्ड व कब्जा काश्त चली आ रही है प्रार्थीगण द्वारा कब्जे बाबत ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किये जिससे यह सिद्ध हो सके की प्रार्थीगण के विवादित आराजी कब्जे काश्त रही हो। इससे सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्टया केस अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है, अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पूर्व न्यायिक दृष्टान्त RRT 2022-2023 पेज न. 176 पूर्ण रूप से चस्पा होता है, कि अप्रार्थीगण लगभग 70-75 वर्ष से रिकॉर्ड खातेदार दर्ज रिकॉर्ड चले आ रहे है

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

PTO

तारीख हुक्म	राधाकिशन बनाम रामविलास हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	इतने लम्बे से प्रार्थीगण द्वारा कोई चुनौती प्रस्तुत नही की गई अत: लगभग 70-75 वर्षों काबिज काश्त रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना न्यायसंगत नही है। अत: प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है. पत्रावली फैसल शुमार होकर सलंग्न मूल वाद रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)